न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 015/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राज सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 28 वर्ष जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगनगर (राजस्थान)
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 22 वर्ष जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगनगर (राजस्थान) ....**वादीगण**

ब ना म

1. राम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगनगर (राजस्थान)
2. प्रीतम कौर पत्नी श्री राम सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगनगर (राजस्थान)
3. सीमा बाई पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बग्गा सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम निरवाना चक 3 एन.आर.डी.–ए तहसील सुरतगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. वीना रानी पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बलजिन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी चक 67 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. पिंकी रानी पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बलकार सिंह जाति रायसिख निवासी लाधुका तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर। ...... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय भाटी	(प्रतिवादी–1 ता 5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 29.09.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 राम सिंह, वादीगण के पिताजी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की माताजी है। चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 117/79 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टे0), 14 से 25 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टे0) कुल 3.162 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 117/79 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के पिताजी राम सिंह के नाम दर्ज चक 1 सी बड़ी की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी इन्द्र सिंह पुत्र झण्डा सिंह के स्वर्गवास होने के बाद नामान्तरण संख्या 235 दिनांक 09.10.2001 द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 1 सी बड़ी के नामन्तरण संख्या 235 दिनांक 09.10.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्र (राज सिंह एवं कुलविन्द्र सिंह, वादीगण) एवं तीन पुत्रीयां (सीमाबाई, वीनारानी, पिंकी रानी) है तथा इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है:–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, राजसिंह, कुलविन्द्र सिंह पिसरान रामसिंह, प्रीतम कौर पत्नी रामसिंह कौम रायसिख निवासीयान चक 1 सी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ब:हिस्सा बराबर बराबर	चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 117/79 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 13/2 व 14 से 25 की कुल 3.162 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है । उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 10/01/2021 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।प्रतिवादी संख्या 6 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनायी गयी है वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः–

(क). कि प्रतिवादी संख्या 1 राम सिंह के नाम दर्ज चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 117/79 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 13/2 व 14 से 25 की कुल 3.162 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण राजसिंह, कुलविन्द्र सिंह पिसरान रामसिंह एवं प्रतिवादीया संख्या 2 प्रीतम कौर पत्नी रामसिंह कौम रायसिख निवासीयान चक 1 सी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे ।

(ख). उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

दिनांक 22.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा इकबालिया जवाब दावा अपने अधिवक्ता विजय कुमार भाटी की मार्फत पेश किया तथा वाद पत्र स्वीकार कर अनुतोष प्रदान करने में सहमति जाहिर की गई।

दिनांक 07.04.2021 को स्टेट जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र मे प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त वारिसान पक्षकार के रुप मे संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओडकी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिन्दूमलकोट की

सहायक कलक्टर एव

जमाबन्दी सम्बत 2072–2075, नामान्तरण संख्या 235 दिनांक 09.10.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबन्दी के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा/सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01** राम सिंह के नाम दर्ज चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 117/79 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 13/2 व 14 से 25 की कुल 3.162 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि **वादीगण राजसिंह, कुलविन्द्र सिंह** पिसरान रामसिंह एवं **प्रतिवादीया संख्या 02 प्रीतम कौर** पत्नी रामसिंह कौम रायसिख निवासीयान चक 1 सी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ब:हिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.09.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 015 / 2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राज सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 28 वर्ष जाति रायरिख निवारी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगांगनगर (राजरथान)
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 22 वर्ष जाति रायरिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंागनगर (राजस्थान) ....वादीगण

ब ना म

1. राम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगांगनगर (राजस्थान)
2. प्रीतम कौर पत्नी श्री राम सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 बी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगांगनगर (राजस्थान)
3. सीमा बाई पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बग्गा सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम निरवाना चक 3 एन.आर.डी.–ए तहसील सुरतगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. वीना रानी पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बलजिन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी चक 67 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. पिंकी रानी पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री बलकार सिंह जाति रायसिख निवासी लाधुका तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर। ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय भाटी	(प्रतिवादी–1 ता 5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 18.10.2021

वादपत्र संख्या 015 / 2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जाशी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अधिवक्ता श्री विजय भाटी पैरोकार राज प्रतिवादी– 6 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01** राम सिंह के नाम दर्ज चक 1 सी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 117/79 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 13/2 व 14 से 25 की कुल 3.162 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि **वादीगण राजसिंह, कुलविन्द्र सिंह** पिसरान रामसिंह एवं **प्रतिवादीया संख्या 02 प्रीतम कौर** पत्नी रामसिंह कौम रायसिख निवासीयान चक 1 सी बड़ी ग्राम पंचायत ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ब:हिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।
रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर